ज्ञापांक–3533/तक0 / 2021

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–01वीं नवम्बर 2021

सेवा में,

Puja Mithai and Rasoi,
Sai Jambu Tower , Bhalubasa ,
Near - Hanuman Mandir .Jamshedpur-831009

विषयः– **मौजा–Hathiyadih, प्लॉट नं0–FE14, खाता नं0– 81, वार्ड नं0–02, थाना–सरायकेला (60), जिला–सरायकेला–खरसावाँ में निर्मित फैक्ट्री भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्रस्ताव के अनुसार निर्मित फैक्ट्री भवन प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, आदित्यपुर से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–260 दिनांक–30.08.2021 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में निर्मित फैक्ट्री भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. निर्मित फैक्ट्री के सामनेवाले भाग में कम से कम 1,00,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से पानी लिये जाने हेतु **Fire Service Draw-Out Connection** दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ दोनों स्टेयरकेश के लॉबी में एक वेज राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज का संस्थापन कराया जाय।
5. पूरे फैक्ट्री परिसर में कम से कम 150 mm डाया का **Heavy MS** पाईप वाले एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक हाईड्रैण्ट तथा 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय।
6. प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो–दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखा जाय।
7. फैक्ट्री परिसर में एक–एक अदद फोम मॉनीटर का संस्थापन कराया जाय।
8. फैक्ट्री में **Addresable Type Fire Detection & Alarming System** की व्यवस्था की जाय।
9. फैक्ट्री के प्रवेश एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
10. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प रूम का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2850 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
11. 900 Lpm क्षमता वाले एक स्वचालित टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
12. समान क्षमता का एक अदद फायर पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
13. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
14. सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले **(Outward Openings)** रहेंगे।
15. फैक्ट्री की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
16. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिये कम से कम दो तथा प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट के लिये चार की दर से 06 के0जी0 क्षमता वाले डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र संस्थापित कराया जाय।
17. मुख्य प्रवेश द्वार के पास 50 ली0 क्षमता का एक–एक अदद वाटर मिस्ट तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
18. फैक्ट्री में एक मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रोनिक फायर अलार्म का संस्थापन कराया जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार में समुचित स्थानों पर हो।

19. मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड / पैनल एवं बिजली के सभी उपकरणों को **Fire Supression System** से सुरक्षित किया जाय।
20. मेन ईलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम **30 MM** मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
21. वैस्ट मैटेरियल के प्रतिदिन डिस्पोजल हेतु समुचित व्यवस्था की जाय।
22. **Exit & Leading to Exit Way** को कभी भी किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय।
23. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
24. फैक्ट्री भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
25. फैक्ट्री भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व फैक्ट्री भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व सेल्फ अप्रेजल चेकलिस्ट के साथ नोटरी पब्लिक द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सभी सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
26. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जॉच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जॉच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
27. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि **Plan** अथवा **Nature Of Occupancy** में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके **Clearance** अवश्य प्राप्त करेंगे।
28. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग **IV** के नियम **6.7** में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=[illegible],
postalCode=834002, st=Jharkhand,
serialNumber=[illegible],
cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2021.11.01 16:11:09 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।